संख्याः 2139 /XII(1)/2016–86(47)/2014

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

पंचायतीराज अनुभाग–1 **देहरादून** **दिनाँकः 10 जून, 2016**

विषयः त्रिस्तरीय पंचायतों के नव–निर्वाचित पदाधिकारियों एवं शासकीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

त्रिस्तरीय पंचायतों के नव–निर्वाचित पदाधिकारियों एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु प्रथम चरण में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्षों एवं द्वितीय चरण में प्रमुख/उप प्रमुखों को उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जिला पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण भी उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज संस्थान द्वारा प्रत्येक जनपद में दिया जा रहा है, जो माह मई में सम्पन्न हो गया है।

2– आगामी चरण में प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3– प्रशिक्षण मुख्यतः पंचायतीराज की वैद्यानिक व्यवस्था, अधिनियम, प्रचलित नियमावली, अधिप्राप्ति नियमावली, वित्तीय नियमों, राज्य एवं भारत सरकार की ग्रामीण विकास एवं अन्य विभागों की योजनाएं, जैसे समाज कल्याण एवं अन्य विभागों की लाभार्थीपरक योजनाएं, e-Panchayat, DBT तथा डॉ0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना आदि पर आधारित होगा।

4– विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण हेतु ग्राम प्रधानों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का एक बैच लगभग 40 प्रशिक्षार्थियों का होगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 50 प्रशिक्षार्थियों तक का होगा। न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर/समूह में ग्राम पंचायत सदस्यों का एक बैच अधिकतम 50 प्रशिक्षार्थियों का होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु न्याय पंचायत मुख्यालय में प्रशिक्षण

दिए जाने हेतु पर्याप्त स्थल/भवन आदि उपलब्ध न हो तो ग्राम पंचायतों के समूह में कोई ऐसा स्थान, जहाँ प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराया जा सके, निर्धारित किया जा सकता है।

5– प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं शासकीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण इस हेतु चयनित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सम्पन्न कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बैच में एक शासकीय अधिकारी मास्टर ट्रेनर व एक सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों का मास्टर ट्रेनर सम्मिलित रहेगा, जो कि संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों के विषय विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार उनके विभागों से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिए जाने हेतु भी आमंत्रित किया जाए।

6– विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद स्तर पर शासकीय अधिकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के मास्टर ट्रेनर्स का एक दिवसीय रिफ्रैशर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिए जाने वाले तीन दिवसीय प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी एवं प्रशिक्षण हेतु रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही प्रशिक्षण के लिए बैच मैंचिंग का कार्य सम्पन्न कराया जाएगा, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि किस बैच में कौन–कौन से मास्टर ट्रेनर होंगे। प्रशिक्षण के लिए अतिथि वार्ताकार के रूप में विषय विशेषज्ञ भी चिन्हित किए जाएंगे।

7– जिला पंचायत राज अधिकारी संबंधित गैर सरकारी संगठनों से विस्तृत विचार विमर्श कर अपने जनपद की प्रशिक्षण कार्य योजना दिनांक 15 जून 2016 तक निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्ययोजना में प्रशिक्षण का रोस्टर, स्थल व्यवस्था आदि विस्तृत रूप से सम्मिलित होगी।

8– तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समय 10:00 बजे प्रातः से साँय 04:00 बजे तक होगा, किन्तु प्रथम दिवस के दिनांक को 09:00 बजे से पंजीकरण प्रारम्भ होगा। अतः प्रथम दिवस को 09:00 से पूर्व प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति वाँछनीय/अनिवार्य होगी।

9– विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर स्थल चयन एवं बैठने की व्यवस्था सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) की देख–रेख में सम्बन्धित गैर सरकारी सगठनों की होगी। प्रशिक्षण में उपस्थिति के लिए वृहद रूप से प्रचार–प्रसार कर लिया जाए। समस्त प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अवगत कराया जाए। पत्र में प्रशिक्षण की महत्ता, विशेषतायें तथा प्रशिक्षार्थियों को देय सुविधाएं यथा, मानदेय, जलपान, भोजन आदि का अवश्य उल्लेख किया जाए। समाचार पत्रों में भी वृहद प्रचार–प्रसार कराया जाए।

10– प्रशिक्षण हेतु गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपने स्तर से भी सम्बन्धित प्रशिक्षुओं/प्रतिनिधियों को सूचना प्रेषित की जाएगी।

11– प्रत्येक बैच में कुल प्रशिक्षार्थियों के कम से कम 50 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति पर प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

12– प्रशिक्षणार्थियों के आवसीय व भोजन आदि की उचित गुणवत्तायुक्त व्यवस्था सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों द्वारा की जाएगी। गुणवत्ता खराब होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर संगठन से कार्य वापस लिया जा सकता है।

13– प्रशिक्षण प्रत्येक दशा में निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर ही आयोजित किया जाएगा।

14– सम्बन्धित गैर सरकारी संगठनों के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा एक बैच का प्रशिक्षण सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न होने के उपरान्त ही अगले बैच का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

15– यदि कोई गैर सरकारी संगठन, उन्हें प्रशिक्षण हेतु आवंटित मात्रा के कम प्रशिक्षण प्रदान कर बीच में कार्य छोड़ता है अथवा कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं होता है तो ऐसी परिस्थिति में उस गैर सरकारी संगठन का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा विभाग को हुई हानि की वसूली जमानत राशि अथवा अन्य देयकों से वसूल कर ली जाएगी।

16– विकास खण्ड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में एक जनपद स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सम्बन्धी आख्या जनपद के नोडल अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को भी इस हेतु उत्तरदायी बनाया जाए।

17– प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण के अंतिम दिवस को प्रश्नावली के रूप में एक मूल्यांकन एवं फीडबैक प्रपत्र उपलब्ध कराया जाए, जिसमें प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जानकारी होगी।

18– क्लस्टर/समूह के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाए, जो कि ग्राम पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् आख्या खण्ड स्तर के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान फोटोग्राफ व प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार की रिपोर्ट प्रत्येक प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के उपरान्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराना आवश्यक है और समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी ऐसी समस्त सूचनायें निदेशक, पंचायती राज को प्रस्तुत करेंगें।

इस हेतु प्रत्येक जनपद में एक जनपदीय कंट्रोल रूम व राज्य स्तर पर एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है।

19– तीन दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिवस को ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) की अवधारणा, प्रक्रिया एवं निर्माण पर चर्चा की जाए तथा जी.पी.डी.पी. निर्माण हेतु तैयार किए गए टैम्पलेट्स पर अवश्य अभ्यास किया जाए।

20– प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी जाए, जिसमें विकास पुस्तिका व सम्बन्धित प्रतिनिधियों के लिए हस्तपुस्तिका सम्मिलित होगी। इसके अतिरिक्त जी.पी.डी.पी. निर्माण से सम्बन्धित फैम्पलेट्स एवं टैम्पलेट्स भी उपलब्ध कराए जाएं। जिले स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अन्य किसी विभागों की योजनाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों की सामग्री हो, तो उसे भी सम्बन्धित प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाए।

21– विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व रेखीय विभागों के कार्मिकों विशेषकर मनरेगा, ग्राम्य विकास, आई.सी.डी.एस., स्वास्थ्य विभाग के ए.एन.एम., आशा एवं शिक्षा विभाग आदि को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों को समस्त कार्यक्रमों की जानकारी हो सके तथा प्रशिक्षण में दी गई जानकारी में भी एकरूपता आ सके।

22– प्रशिक्षण में समस्त प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य हो, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण के अंत में एक प्रमाण पत्र दिया जाए। प्रमाण पत्र का प्रारूप पंचायती राज निदेशालय से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

23– उपस्थिति प्रपत्र को पी.ई.एस. एप्लीकेशन के ट्रेनिंग मैनेजमेण्ट पोर्टल में अपलोड कराकर एक प्रति सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

24– प्रशिक्षण के प्रतिदिन की प्रगति आख्या e-mail, what'sapp group पर भी Upload की जाएगी।

25– जनपद स्तर पर प्रशिक्षण हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे, जो जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से सम्पर्क कर प्रशिक्षण संचालित करवाएंगे।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

संख्याः– XII(1)/2016–86(47)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
उप सचिव